

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1078/2025

अनवान : -

1. आत्माराम उर्फ आदराम पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

- वादी

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र विमला कंवर जाति राजपुत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. करतार सिंह पुत्र बिशन सिंह जटसिंख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. जयप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
4. जयसिंह पुत्र छत्रपाल सिंह जाति राजपुत निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
5. देवीलाल पुत्र बेगराज जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
7. प्रदीप सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह जाति राजपुत निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र बेगराज जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
9. टीकमदास पुत्र माधनमल जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. रोताश पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 44/17 की कुल तादादी 8.3490 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 10/6 की कुल तादादी 0.8600 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 44/17 की कुल तादादी 8.3490 हैक्टर भूमि में वादी अकेला 6/55 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 6 अकेला 6/55 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 835/1698 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 अकेला 2201/16698 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 अकेला 3/22 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 6/55 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 अकेला 6/55 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 अकेला 3/22 हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 अकेला 6/55 हिस्सा भूमि के खातेदार कास्तकार है एवं रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 10/6 की कुल तादादी 0.8600 हैक्टर भूमि में वादी अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 अकेला 177/430 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 10 अकेला 253/860 हिस्सा भूमि के खातेदार कास्तकार है। वाद भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण के बीच सीव लगान का झगड़ा रहता है तथा कास्त सम्बन्धी झगड़ा बना रहता है इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान वादी अलहदा-अलहदा करवा पाने की अधिकारी है अत मुताबिक हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे। उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करापाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 44/17 की कुल तादादी 8.3490 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 10/6 की कुल तादादी 0.8600 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है, का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 44/17 की कुल तादादी 8.3490 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 10/6 की कुल तादादी 0.8600 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 आत्माराम पुत्र बेगराज हि0 1/5, इन्द्रपाल पुत्र बेगराज हि0 1/5, देवीलाल पुत्र बेगराज हि0 1/5, लक्ष्मीनारायण पुत्र बेगराज हि0 1/5, नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/5 जाति जाट सा0 मुन्सरी खातेदार – प0न0 394/468 (105) 1 ता 4 की 1.012 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.024 हैक्ट, 17 ता 23 की 1.771 हैक्ट कुल 4.807
- 2 रोताष पुत्र महेन्द्र हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 मुन्सरी खातेदार प0न0 397/468 (108) कि0न0 23 की 0.253 हैक्ट
- 3 जयसिंह, प्रदीप सिंह पि0 छत्रपाल सिंह हि0 बहिब जाति जाट सा0 मुन्सरी खातेदार— प0न0 394/470 (113) 1 ता 7 की 1.771 हैक्ट, 14-15 की 0.506 हैक्ट कुल 2.277 हैक्ट
- 4 जयप्रकाश पुत्र रामकुमार हि0 1100/1518 जाति जाट सा0 मुन्सरी, करतार सिंह पुत्र बिशनसिंह हि0 418/1518 जाति जटसिख सा0 गोगामेड़ी खातेदार – प0न0 395/470 (114) कि0न0 1-2 की 0.506, 9 ता 12 की 1.012 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट
- 5 टीकमदास पुत्र माधनमल हि0 पूर्ण जाति सिन्धी सा0 मुन्सरी खातेदार— प0न0 396/470 (115) किला न0 21 की 0.253, प0न0 396/471 (121) 1/2 की 0.101, कुल 0.354 हैक्ट नहरी

Zahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

1850

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1078/2025

अनवान : -

1. आत्माराम उर्फ आदराम पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

- वादी

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र विमला कंवर जाति राजपुत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. करतार सिंह पुत्र बिशन सिंह जटसिंख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. जयप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
4. जयसिंह पुत्र छत्रपाल सिंह जाति राजपुत निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
5. देवीलाल पुत्र बेगराज जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
7. प्रदीप सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह जाति राजपुत निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र बेगराज जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
9. टीकमदास पुत्र माधनमल जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. रोताश पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादरा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1078 सन 2025 निर्णय दिनांक


29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 44/17 की कुल तादादी 8.3490 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 10/6 की कुल तादादी 0.8600 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 आत्माराम पुत्र बेगराज हि० 1/5, इन्द्रपाल पुत्र बेगराज हि० 1/5, देवीलाल पुत्र बेगराज हि० 1/5, लक्ष्मीनारायण पुत्र बेगराज हि० 1/5, नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश हि० 1/5 जाति जाट सा० मुन्सरी खातेदार - प०न० 394/468 (105) 1 ता 4 की 1.012 हैक्ट, 7 ता 14 की 2.024 हैक्ट, 17 ता 23 की 1.771 हैक्ट कुल 4.807
- 2 रोताष पुत्र महेन्द्र हि० पूर्ण जाति जाट सा० मुन्सरी खातेदार प०न० 397/468 (108) कि०न० 23 की 0.253 हैक्ट
- 3 जयसिंह, प्रदीप सिंह पि० छत्रपाल सिंह हि० बहिब जाति जाट सा० मुन्सरी खातेदार- प०न० 394/470 (113) 1 ता 7 की 1.771 हैक्ट, 14-15 की 0.506 हैक्ट कुल 2.277 हैक्ट
- 4 जयप्रकाश पुत्र रामकुमार हि० 1100/1518 जाति जाट सा० मुन्सरी, करतार सिंह पुत्र बिशनसिंह हि० 418/1518 जाति जटसिंख सा० गोगामेडी खातेदार - प०न० 395/470 (114) कि०न० 1-2 की 0.506, 9 ता 12 की 1.012 हैक्ट कुल 1.518 हैक्ट
- 5 टीकमदास पुत्र माधनमल हि० पूर्ण जाति सिन्धी सा० मुन्सरी खातेदार- प०न० 396/470 (115) किला न० 21 की 0.253, प०न० 396/471 (121) 1/2 की 0.101, कुल 0.354 हैक्ट नहरी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर